

उन्वान : जयरामसिंह बनाम भंवर सिंह  
प्र.सं. = 01/2023

31/07  
2024

पत्रावली पैशा हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय  
में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय  
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग  
समय पर आवाज लगावाई गई तावजूद प्रार्थी  
व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः  
न्यायालय में प्रकरण में पैरवी हेतु प्रार्थी की  
और से उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र  
इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पैरवी में  
खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार  
होकर दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर  
शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

